

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक:एफ.28( )परावि/प्रशा.2/प्रप्रअ/स्था.पद./2012/1509 जयपुर,दिनांक: 19/04/17


:: आदेश ::

श्री अशोक शर्मा, प्रगति प्रसार अधिकारी, पं.स. रामगढ़ (अलवर) की अधिवार्षिकी आयु उपरान्त दिनांक 30.06.2017 को सेवानिवृत्ति नियत है।

अतः श्री अशोक शर्मा, प्रगति प्रसार अधिकारी, पं.स. रामगढ़ (अलवर) की सेवायें तत्काल प्रभाव से इनके पैतृक विभाग आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान, जयपुर को वापिस लौटाई जाती है।


यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

  
(राजेन्द्र शेखर मक्कड)  
अतिरिक्त आयुक्त एवं  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर
3. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना भवन, जयपुर
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अलवर
5. विकास अधिकारी, पं.स. रामगढ़ (अलवर) को उनके पत्र क्रमांक 188 दिनांक 31.03.2017 के क्रम में प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश की पालना में श्री शर्मा को तत्काल पैतृक विभाग के लिए कार्यमुक्त कर, पालना रिपोर्ट भिजवाये।
6. श्री अशोक शर्मा, प्रगति प्रसार अधिकारी, पं.स. रामगढ़ (अलवर)
7. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
8. आदेश पत्रावली

  
अतिरिक्त आयुक्त एवं  
संयुक्त शासन सचिव